मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 231-32
भोपाल, दिनांक 03/02/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/739/2017

आवेदकः–
M/s Capri Hospitality Services Pvt. Ltd.,
Mr. Krishna Suvir, Director,
210, Navneet Plaza, 5/2, Old Palasia,
Indore- 452 001 (M.P.)

विरूद्ध

अनावेदकः–
M/s Essar Power M.P. Limited,
Directors,
Village Bandhora, Karsualal,
Tehsil,Waidhan- 486886. M.P.

अन्तिम सुनवाई दिनांक 06.01.2021

माध्यस्थम आदेश दिनांक 3/02/2021

आवेदक ने दिनांक 19.01.2017 को इस काउन्सिल के समक्ष, अनावेदक के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 14,81,180/– एवं इस राशि पर दिनांक 31.12.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 3,12,312/– इस प्रकार कुल राशि 17,93,492/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

1. आवेदक को अनावेदक M/s Essar Power M.P. Limited द्वारा दिनांक 01.09.14 से 31.03.16 तक Canteen Services प्रदाय करने हेतु कार्यादेश कमांक EPMPL/SAH/9610003602 दिनांक 27.09.2014 जारी किया गया।

2. अनावेदक से प्राप्त कार्यादेश क्रमांक EPMPL/SAH/9610003602 दिनांक 27.09.2014 के अनुसार आवेदक द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं के भुगतान हेतु निम्नानुसार बिल्स जारी किए गए :–

क्र.	बिल कमांक/दिनांक	सेवा का मूल्य
1	IND/15-16/457/31.05.15	65,397.00
2	IND/15-16/701/01.07.15	72,212.00
3	IND/15-16/702/01.07.15	30,033.00
4	IND/15-16/2507/01.01.16	3,32,045.00
5	IND/15-16/2538/01.01.16	60,924.00
6	IND/15-16/2942/01.02.16	3,32,045.00
7	IND/15-16/3013/10.02.16	23,678.00
8	IND/15-16/3339/15.03.16	3,32,045.00
9	IND/15-16/3340/15.03.16	23,678.00
10	IND/15-16/3390/31.03.16	3,32,045.00
11	IND/15-16/3427/31.03.16	14,247.00
	Total	16,47,087.00

..........2

3. अनावेदक से प्राप्त कार्यादेश के निर्देशानुसार अनावेदक के निर्देशित नियत स्थान पर प्रदायित सेवाओं की स्वीकारोक्ति स्वरुप आवेदक द्वारा जारी किए गए बिल पर अनावेदक कम्पनी की मोहर एवं अनावेदक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मौजुद है, जो अनावेदक को प्रदायित सेवाओं के प्राप्त होने का पुख्ता प्रमाण है।

4. आवेदक को प्राप्त कार्यादेश क्रमांक EPMPL/SAH/9610003602 दिनांक 27.09.14 में आवेदक द्वारा टैक्स इनवाईस समस्त जरुरी सहायक दस्तावेजो के साथ जमा करने के 30 दिनों में 100 प्रतिशत भुगतान किया जाना था।

5. आवेदक द्वारा प्रदायित की गई सेवाओं के विरूद्ध दिनांक 31.05.2015 से 31.03.2016 तक, कुल राशि रू. 16,47087/– के 11 देयक भुगतान हेतु अनावेदक को प्रस्तुत किये गये, जिसमें अनावेदक द्वारा कुल राशि रू. 1,65,907/– का ही भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 14,81,180/– अनावेदक पर बकाया है।

6. आवेदक ने दिनांक 29.02.2016 को पत्र एवं ई मेल द्वारा अनावेदक को सेवाये प्रदाय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए दिनांक 31.03.16 के पश्चात केटररिंग सेवाये प्रदाय नहीं किए जाने बाबद् सूचित किया गया। आवेदक ने दिनांक 04.03.16 से दिनांक 16.05.16 के मध्य विभिन्न ई मेल के माध्यम से अनावेदक को बकाया राशि हेतु सत्यापन करने प्रदायित सेवाओं के विरुद्ध प्रदायित बिलों के टी.डी.एस. सर्टिफिकेट एवं बकाया राशि के भुगतान हेतु निवेदन किया किन्तु अनावेदक ने न, तो आवेदक के ई–मेलों का उत्तर दिया गया एवं न, ही भुगतान किया है।

अतः आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सेवाओं के विरुद्ध अप्राप्त संदाय की रकम रुपये 14,81,180/– एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के तहत दिनांक 31.12.2016 तक की ब्याज राशि रुपये 3,12,312/– एवं भुगतान दिनांक तक के ब्याज की वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2217 दिनांक 12.04.2017, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र, का बिन्दुवार उत्तर एवं सूलह प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 27.05.2017, 28.04.2018 एवं दिनांक 06.01.2021 को सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

अनावेदक को सुनवाई/सुलह के नोटिस स्पीड–पोस्ट से प्रेषित किये गये, जो अनावेदक को प्राप्त हुए है, जिनकी पुष्टि नस्ती में उपलब्ध स्पीड–पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है।

अन्तिम सुनवाई दिनांक 06.01.2021 को काउंसिल सुनवाई बैठक में आवेदक मेसर्स केपरी हॉस्पिटिलिटी सर्विसेज प्रा0लि0, इंदौर की ओर से श्री अहमद सलमान, ब्रांच मैनेजर उपस्थित एवं अनावेदक मेसर्स एस्सार पॉवर एम.पी. लिमिटेड, अनुपस्थित ।

सुनवाई बैठक में आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक ने अनावेदक को कैंटीन–सर्विस दी थी तथा आवेदक को रु0 9.59 लाख का भुगतान प्राप्त हो चुका है। शेष राशि की मांग अनावेदक से की गई, किन्तु अनावेदक द्वारा शेष बकाया राशि एवं ब्याज राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

............3

काउंसिल ने अभिलेख के परीक्षण उपरांत यह पाया कि, प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि, अनावेदक को देय आवेदन-पत्र में दर्शित देय राशि स्वीकार्य है। अतः शेष राशि के भुगतान हेतु अंतिम आदेश पारित किया जाए। अंतिम आदेश पारित हो ।

काउन्सिल ने यह पाया कि अनावेदक को काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2217 दिनांक 12.04.2017, से आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र, अनावेदक को भेजकर 15 दिवस में बिन्दुवार उत्तर एवं सुलह प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था एवं सुनवाई दिनांक 27.05.2017, 28.04.2018 एवं दिनांक 06.01.2021 के नोटिस अनावेदक को स्पीड-पोस्ट से प्रेषित किये गये, जो अनावेदक को प्राप्त हुए है, जिनकी पुष्टि नस्ती में उपलब्ध स्पीड-पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट से होती है, इसके पश्चात भी अनावेदक न, तो काउन्सिल के उपस्थित हुए, ना, ही अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई प्रतिकार उत्तर प्रस्तुत किया है।

अनावेदक को सुनवाई एवं सुलह के पर्याप्त अवसर दिये गये, किन्तु अनावेदक के उपस्थित नही होने से सुलह नही हो सकी है।

आवेदक द्वारा दिनांक 19.01.2017 को प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों से, स्वीकृत तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा आवेदक को कार्यादेश क्रमांक EPMPL/SAH/9610003602, दिनांक 27.09.2014 जारी किया गया है एवं आवेदक द्वारा कार्य संपादित कर, अनावेदक को देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये है। आवेदक द्वारा काउन्सिल में दावा आवेदन पत्र दिनांक 19.01.2017 को प्रस्तुत करने के उपरांत अनावेदक ने दिनांक 05.04.2017 को रू. 3,00,000/-, दिनांक 27.04.2017 को रू. 1,00,000/- एवं दिनांक 02.06.2017 को रू. 5,59,000/- इस प्रकार कुल राशि रू.उ 9,59,000/- का भुगतान आवेदक को किया है, जिससे अनावेदक द्वारा आवेदक को कार्यादेश दिये जाने की पुष्टि के साथ ही, आवेदक के दावा आवेदन-पत्र में दर्शित देय राशि रू. 14,81,180/- स्वीकार्य है एवं अनावेदक पर राशि रू. 14,81,180/- तत्समय बकाया होना प्रमाणित होता है।

आवेदक द्वारा दिनांक 29.12.2020 को पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आवेदक को अनोवदक से कुल बकाया राशि रू. 14,81,180/- में से कुल राशि रू. 9,59,000/- प्राप्त हो गये है तथा राशि रू. 5,22,180/- एवं इस पर दिनांक 29.12.2020 तक की कुल ब्याज की राशि रू. 13,81,406/- इस प्रकार कुल राशि रू. 19,03,586/- अनावेदक पर बकाया है।

आवेदक ने उक्त पत्र दिनांक 29.12.2020 में लेख किया है कि अनावेदक को एक प्रति स्पीड पोस्ट से भेज दी गई है, किन्तु अनावेदक ने आवेदक द्वारा दावा की गई बकाया मूलधन एवं ब्याज राशि के संबंध में आपत्ति के कोई भी तथ्य/कथन प्रस्तुत नही किये है।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक M/s Essar Power M.P. Limited, Directors, Village Bandhora, Karsualal, Tehsil, Waidhan- 486886. M.P. द्वारा, बकाया मूलधन राशि रू. 5,12,180/- (रूपये पांच लाख बारह हजार एक सौ अस्सी मात्र) आवेदक M/s Capri Hospitality Services Pvt. Ltd., Mr. Krishna Suvir, Director, 210, Navneet Plaza, 5/2, Old Palasia, Indore- 452 001 (M.P.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, अवार्ड

............4

राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी / अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश / अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, "मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद" भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/— के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना—अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(शरद मोहन अग्रवाल)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।